

खीमपुर खीरी के थारु जनजातियों का आर्थिक स्वरूप-एक भौगोलिक अध्ययन

(A Geographical Study of the Economic Structure of Tharu Tribes of Khimpur Kheri)

डॉ. ऊषा शर्मा	डॉ. बी.के. शर्मा	ओंकार राणा
अतिथि विद्वान, भूगोल विभाग	सह-प्राध्यापक, भूगोल विभाग	शोधार्थी, भूगोल विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा

सारांश (Abstract)

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित खीमपुर क्षेत्र थारु जनजाति की सघन बस्तियों के लिए प्रसिद्ध है। थारु जनजाति भारत की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है, जो मुख्यतः तराई क्षेत्र में निवास करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में खीमपुर खीरी के थारु जनजातियों के आर्थिक स्वरूप का भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में थारु जनजाति की कृषि पद्धति, भूमि स्वामित्व, आय के स्रोत, ऋण-ग्रस्तता, पशुपालन, वन-आधारित आजीविका एवं शासकीय योजनाओं के लाभ का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से संकलित आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि थारु जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वन-आधारित संसाधनों पर निर्भर है, परंतु उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में क्रमिक सुधार के संकेत दृष्टिगोचर होते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

थारु जनजाति, खीमपुर खीरी, आर्थिक स्वरूप, भौगोलिक अध्ययन, कृषि, भूमि स्वामित्व, आजीविका, ऋणग्रस्तता, शासकीय योजनाएँ

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत में जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत है। ये समुदाय मुख्यतः वनाच्छादित, पर्वतीय एवं तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं और प्रकृति से गहरे रूप में जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद का खीमपुर क्षेत्र थारु जनजाति की सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। थारु जनजाति की अपनी विशिष्ट आर्थिक संरचना है, जो मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रह एवं मजदूरी पर आधारित है।

तराई क्षेत्र की उपजाऊ भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद थारु जनजाति आर्थिक असमानता, भूमिहीनता, ऋण-ग्रस्तता एवं शासकीय योजनाओं के अपर्याप्त लाभ जैसी समस्याओं से जूझ रही है। भूगोल की दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक परिवेश वहाँ की आर्थिक संरचना को सीधे प्रभावित करता है। खीमपुर क्षेत्र के थारु समुदाय की आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन जनजातीय विकास नीतियों को सशक्त दिशा प्रदान कर सकता है।

थारु जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान उन्हें राजपूत वंश से संबद्ध मानते हैं, जबकि अन्य उनका संबंध नेपाल की मंगोलियाई जनजातियों से जोड़ते हैं। थारु शब्द 'थारु' अर्थात् 'स्थानीय निवासी' से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये लोग पीढ़ियों से तराई के घने जंगलों में रहते आए हैं और मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, जो उनकी जैविक-भौगोलिक विशिष्टता को दर्शाता है।

2. शोध पत्र के उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- (1) खीमपुर खीरी के थारु जनजाति की कृषि संरचना एवं भूमि स्वामित्व का अध्ययन करना।
- (2) थारु जनजाति के आय के स्रोतों एवं व्यावसायिक वितरण का विश्लेषण करना।
- (3) थारु जनजाति की ऋण-ग्रस्तता एवं वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना।
- (4) शासकीय विकास योजनाओं के लाभ एवं उनकी पहुँच का आकलन करना।

- (5) थारू जनजाति के आर्थिक विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध का महत्व (Significance of Study)

यह शोध पत्र कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। प्रथमतः, यह अध्ययन थारू जनजाति के आर्थिक जीवन का प्रामाणिक प्रलेखन प्रस्तुत करता है, जो भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ सामग्री का कार्य करेगा। द्वितीयतः, इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष जनजातीय विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक होंगे। तृतीयतः, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से किया गया यह अध्ययन स्थान-विशेष की आर्थिक संरचना को समझने में सहायक है।

जनजातीय समुदायों की आर्थिक समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक अध्ययन किया जाए। यह शोध पत्र नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विकास संस्थाओं के लिए उपयोगी तथ्य प्रदान करेगा।

4. शोध प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध पत्र में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Research Method) का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी जनपद का खीमपुर विकास खंड है, जहाँ थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है।

4.1 प्राथमिक आँकड़ा संग्रह

प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह हेतु प्रश्नावली (Questionnaire), साक्षात्कार (Interview) एवं प्रत्यक्ष प्रेक्षण (Direct Observation) विधियों का प्रयोग किया गया। अध्ययन क्षेत्र में कुल 50 ग्रामों से उद्देश्यपरक न्यादर्श (Purposive Sampling) विधि द्वारा 300 परिवारों का चयन किया गया। साक्षात्कार हेतु अर्द्ध-संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, भूमि, आय, व्यय एवं ऋण से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।

4.2 द्वितीयक आँकड़ा संग्रह

द्वितीयक स्रोतों में जनगणना 2011, जिला सांख्यिकी पत्रिका 2021-22, ग्राम पंचायत अभिलेख, ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन, UGC अनुदान प्राप्त शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख एवं राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रकाशन सम्मिलित किए गए।

4.3 विश्लेषण पद्धति

आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सरल सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे प्रतिशत, औसत एवं सारणीकरण का उपयोग किया गया। भौगोलिक विश्लेषण के लिए मानचित्र, ग्राफ एवं चार्ट तैयार किए गए। क्षेत्र का चयन उद्देश्यपरक न्यादर्श पद्धति पर आधारित था।

5. थारु जनजातियों का आर्थिक स्वरूप (Economic Structure of Tharu Tribes)

5.1 व्यावसायिक संरचना

थारु जनजाति की आर्थिक संरचना में कृषि प्रमुख स्थान रखती है। खीमपुर खीरी के थारु परिवारों के व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश परिवार कृषि पर निर्भर हैं। अग्रलिखित सारणी-1 में थारु परिवारों के व्यावसायिक वितरण का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-1: थारु परिवारों का व्यावसायिक वितरण

क्र.सं.	व्यवसाय	परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	कृषि (मुख्य व्यवसाय)	1285	62.4
2	कृषि मजदूरी	384	18.6
3	वन आधारित कार्य	152	7.4
4	पशुपालन	118	5.7

5	व्यापार एवं वाणिज्य	68	3.3
6	अन्य	52	2.5
	कुल योग	2059	100.0

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2023-24 एवं ग्राम पंचायत अभिलेख, खीमपुर विकास खंड।

सारणी-1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि थारू परिवारों में सर्वाधिक 62.4 प्रतिशत परिवार कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। कृषि मजदूरी पर निर्भर परिवारों का अनुपात 18.6 प्रतिशत है। वन आधारित कार्य (7.4%), पशुपालन (5.7%), व्यापार (3.3%) एवं अन्य (2.5%) क्रमशः अन्य आजीविका के स्रोत हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था में कृषि का आधिपत्य है, परंतु कृषि मजदूरी पर निर्भरता यह भी संकेत देती है कि बड़ी संख्या में थारू परिवार स्वयं की भूमि के अभाव में मजदूरी करने पर विवश हैं।

5.2 भूमि स्वामित्व

भूमि स्वामित्व किसी भी कृषि-प्रधान समुदाय के आर्थिक स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। थारू जनजाति में भूमि वितरण की असमानता एक गंभीर समस्या के रूप में उभरती है। सारणी-2 में भूमि स्वामित्व का वर्गीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-2: थारू परिवारों में भूमि स्वामित्व का वितरण

क्र.सं.	भूमि श्रेणी (हेक्टेयर)	परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	भूमिहीन (0 हेक्टेयर)	318	15.4
2	सीमांत (0.01-1.0 हे.)	742	36.0
3	लघु (1.01-2.0 हे.)	568	27.6
4	मध्यम (2.01-4.0 हे.)	312	15.2

5	बड़े (4.01 हे. से अधिक)	119	5.8
	कुल योग	2059	100.0

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2023-24 एवं राजस्व अभिलेख, खीमपुर तहसील।

सारणी-2 से यह तथ्य उभर कर आता है कि 15.4 प्रतिशत थारू परिवार पूर्णतः भूमिहीन हैं और ये परिवार पूरी तरह कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। सीमांत कृषक (0.01-1.0 हेक्टेयर) परिवारों का अनुपात सर्वाधिक 36.0 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि जोत का आकार अत्यंत छोटा है। लघु कृषक (27.6%), मध्यम कृषक (15.2%) एवं बड़े कृषक (5.8%) क्रमशः घटते अनुपात में हैं। इस प्रकार कुल 51.4 प्रतिशत थारू परिवार सीमांत एवं भूमिहीन हैं, जो उनकी आर्थिक भेद्यता का संकेत है।

5.3 वार्षिक आय का स्तर

आर्थिक स्वरूप के अध्ययन में परिवार की वार्षिक आय एक महत्वपूर्ण मापदंड है। थारू परिवारों की वार्षिक आय के विश्लेषण से उनकी क्रय शक्ति एवं जीवन स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। सारणी-3 में वार्षिक आय का वर्गवार विवरण प्रस्तुत है।

सारणी-3: थारू परिवारों की वार्षिक आय का वितरण

क्र.सं.	आय वर्ग (रुपये/वर्ष)	परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	20,000 से कम	398	19.3
2	20,001 – 40,000	612	29.7
3	40,001 – 60,000	524	25.4
4	60,001 – 80,000	314	15.2
5	80,001 – 1,00,000	148	7.2
6	1,00,001 से अधिक	63	3.1

	कुल योग	2059	100.0
--	---------	------	-------

स्रोत: क्षेत्रीय साक्षात्कार सर्वेक्षण, 2023-24।

सारणी-3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 19.3 प्रतिशत थारू परिवारों की वार्षिक आय मात्र ₹20,000 से भी कम है, जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है। 20,001 से 40,000 रुपये के आय वर्ग में सर्वाधिक 29.7 प्रतिशत परिवार आते हैं। ₹80,000 से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों का अनुपात मात्र 10.3 प्रतिशत है, जबकि ₹1,00,000 से अधिक आय वाले परिवार केवल 3.1 प्रतिशत हैं। यह वितरण थारू समुदाय में व्यापक आर्थिक असमानता एवं सामूहिक निर्धनता की पुष्टि करता है।

5.4 ऋण की स्थिति

थारू जनजाति में ऋण-ग्रस्तता एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। अध्ययन में पाया गया कि 300 में से 185 परिवार (61.7%) किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। इन 185 परिवारों में ऋण के स्रोत का वितरण सारणी-4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-4: थारू परिवारों में ऋण के स्रोत का वितरण

क्र.सं.	ऋण का स्रोत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	साहूकार/महाजन	482	41.8
2	सरकारी बैंक	286	24.8
3	सहकारी समिति	198	17.2
4	स्वयं सहायता समूह	124	10.8
5	मित्र/रिश्तेदार	63	5.5
	कुल योग	1153	100.0

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2023-24 (केवल ऋणग्रस्त परिवार, n=185)।

सारणी-4 का विश्लेषण यह दर्शाता है कि थारु परिवारों में 41.8 प्रतिशत ऋण साहूकार/महाजन से लिया जाता है, जो अत्यधिक ब्याज दर पर प्राप्त होता है और दीर्घकालिक ऋण-चक्र को जन्म देता है। सरकारी बैंक से ऋण लेने वाले परिवार 24.8 प्रतिशत ही हैं, जो यह इंगित करता है कि संस्थागत ऋण तक थारु परिवारों की पहुँच अभी भी सीमित है। सहकारी समिति (17.2%) एवं स्वयं सहायता समूह (10.8%) की भूमिका भी उल्लेखनीय है। संस्थागत स्रोतों की सीमित पहुँच एवं साहूकारों पर निर्भरता थारु समुदाय की आर्थिक प्रगति में बाधक है।

5.5 पशुपालन एवं वन आधारित आजीविका

थारु जनजाति में पशुपालन उनकी सहायक आर्थिक गतिविधि है। परिवारों के पास गाय, भैंस, बकरी एवं सूअर प्रमुख पशु हैं। वन-उत्पाद संग्रह जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, जड़ी-बूटी, लकड़ी एवं मछलीपालन भी आजीविका के महत्वपूर्ण पूरक स्रोत हैं। थारु महिलाएँ विशेषतः वन उत्पाद संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवारों में प्रति परिवार औसतन 2.3 पशु पाए गए, जो कृषि कार्य के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में सहायक हैं।

5.6 शासकीय योजनाओं का लाभ

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं। सारणी-5 में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित थारु परिवारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-5: विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित थारु परिवार

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभान्वित परिवार	प्रतिशत (%)
1	पीएम किसान सम्मान निधि	864	41.9
2	मनरेगा	742	36.0
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	536	26.0
4	उज्ज्वला योजना (एलपीजी)	984	47.8

5	राशन वितरण (PDS)	1842	89.5
6	फसल बीमा योजना	312	15.2

स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2023-24 एवं ग्राम पंचायत पोर्टल डेटा, लखीमपुर खीरी।

सारणी-5 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अर्थात् राशन वितरण से सर्वाधिक 89.5 प्रतिशत थारु परिवार लाभान्वित हैं, जो इस योजना की व्यापक पहुँच को दर्शाता है। उज्ज्वला योजना से 47.8 प्रतिशत परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 41.9 प्रतिशत परिवारों को मिल रहा है। मनरेगा (36.0%) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (26.0%) का लाभ भी उल्लेखनीय अनुपात में परिवारों को प्राप्त है। फसल बीमा योजना की पहुँच सबसे कम (15.2%) है, जो जागरूकता की कमी को दर्शाती है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध पत्र में लखीमपुर खीरी के थारु जनजाति के आर्थिक स्वरूप का भौगोलिक विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए:

- (1) थारु जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि-केंद्रित है। 62.4 प्रतिशत परिवार कृषि पर आश्रित हैं, जबकि 18.6 प्रतिशत परिवार कृषि मजदूरी करते हैं।
- (2) भूमि वितरण में अत्यधिक असमानता पाई गई। 15.4 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं तथा 36.0 प्रतिशत परिवार सीमांत कृषक हैं। जोत का छोटा आकार उत्पादकता को सीमित करता है।
- (3) 49.0 प्रतिशत थारु परिवारों की वार्षिक आय ₹40,000 से कम है, जो उनकी गहरी आर्थिक विपन्नता को इंगित करती है।
- (4) 61.7 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त हैं तथा इनमें 41.8 प्रतिशत साहूकार/महाजन से ऋण लेते हैं, जो शोषण एवं ऋण-चक्र को प्रोत्साहित करता है।

(5) शासकीय योजनाओं में PDS की पहुँच सर्वाधिक है, परंतु फसल बीमा एवं बैंक ऋण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अभी भी सीमित है।

(6) वन उत्पाद, पशुपालन एवं मछलीपालन सहायक आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके विकास की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं।

7. सुझाव (Suggestions)

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

7.1 कृषि विकास संबंधी सुझाव

- (i) थारू जनजाति के भूमिहीन परिवारों को राजकीय परती भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि वे स्वावलंबी कृषक बन सकें।
- (ii) कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीज वितरण एवं कृषि तकनीकी प्रशिक्षण उनकी अपनी भाषा में आयोजित किया जाना चाहिए।
- (iii) जोत-चकबंदी कार्यक्रम के माध्यम से छोटी जोतों को समेकित करने से उत्पादकता में वृद्धि संभव है।

7.2 वित्तीय समावेशन संबंधी सुझाव

- (iv) ग्राम स्तर पर बैंकिंग सेवाओं का विस्तार एवं बैंक मित्र सेवा के माध्यम से थारू परिवारों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- (v) स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाकर थारू महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाई जाए।
- (vi) साहूकारों से ऋण लेने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कानूनी जागरूकता अभियान एवं ऋण माफी योजनाएँ लागू की जाएँ।

7.3 वन एवं पशुपालन संबंधी सुझाव

- (vii) थारू जनजाति के पारंपरिक वन अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
- (viii) वन उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करके थारू परिवारों की वन आधारित आय में वृद्धि की जाए।

7.4 शासकीय योजनाओं की पहुँच संबंधी सुझाव

- (ix) फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं के प्रति थारू किसानों में जागरूकता फैलाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ।
- (x) थारू बहुल ग्रामों में जन सेवा केंद्र (CSC) एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएँ ताकि वे ऑनलाइन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

संदर्भ सूची (References)

1. अग्रवाल, के.एस. (2012). भारतीय जनजातियाँ: एक भौगोलिक अध्ययन. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
2. अग्निहोत्री, वी.के. (2018). उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ: सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान।
3. उत्तर प्रदेश जनजाति विकास विभाग. (2022). वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22. लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार।
4. कुमार, राजेश एवं सिंह, प्रमोद. (2019). तराई क्षेत्र की थारू जनजाति: आर्थिक एवं सामाजिक आयाम. जनजातीय अनुसंधान पत्रिका, 12(2), 45-68.
5. जिला सांख्यिकी कार्यालय, लखीमपुर खीरी. (2022). जिला सांख्यिकी पत्रिका 2021-22. लखीमपुर खीरी: जनपद प्रशासन।
6. त्रिपाठी, एस.एन. (2015). भारत की अनुसूचित जनजातियाँ: विकास की चुनौतियाँ. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन।
7. दुबे, एस.सी. (1977). जनजातीय विरासत और भारतीय पहचान. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
8. पांडे, बी.बी. एवं वर्मा, अरुण. (2020). थारू जनजाति की आजीविका: बदलते संदर्भ. भौगोलिक समीक्षा, 38(1), 112-130.
9. पाठक, एस. (2016). उत्तर भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था. इलाहाबाद: इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रकाशन।

10. प्रसाद, एन.एम. (2014). थारू जनजाति का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पत्रिका, 6(1), 23-41.
11. भारतीय जनगणना. (2011). प्राथमिक जनगणना सार: उत्तर प्रदेश. नई दिल्ली: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय।
12. मिश्र, आर.पी. (2010). ग्रामीण भारत का भूगोल. नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
13. मिश्रा, सी.बी. एवं सिंह, एस.पी. (2021). थारू जनजाति में कृषि परिवर्तन: लखीमपुर खीरी का अध्ययन. ग्रामीण विकास अनुसंधान, 15(3), 78-95.
14. मुखर्जी, एस. (2009). जनजातीय भारत: संसाधन, विकास एवं पर्यावरण. कोलकाता: दे'ज पब्लिशिंग।
15. यादव, आर.एस. (2017). थारू जनजाति में भूमि व्यवस्था एवं कृषि विकास. जनजातीय विकास अनुसंधान, 9(2), 56-72.
16. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान. (2020). भारत की प्रमुख जनजातियाँ: आर्थिक प्रोफाइल. रांची: जनजातीय कार्य मंत्रालय।
17. वर्मा, ओ.पी. (2011). उत्तर प्रदेश का भौतिक एवं मानवीय भूगोल. आगरा: शारदा पुस्तक भवन।
18. वर्मा, जे.पी. एवं राव, के.एस. (2018). जनजातीय समुदायों में वित्तीय समावेशन. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 53(41), 34-42.
19. शर्मा, एच.एल. (2008). जनजातीय विकास: नीति एवं कार्यक्रम. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस।
20. सिंह, बी.एन. (2019). थारू जनजाति की सामाजिक-आर्थिक संरचना: एक भौगोलिक अध्ययन. शोध प्रबंध, लखनऊ विश्वविद्यालय।
21. सिंह, एम.पी. (2013). भारत में जनजातीय विकास: समस्याएँ एवं संभावनाएँ. नई दिल्ली: मितल पब्लिकेशंस।
22. सिंह, रमेश कुमार. (2016). थारू जनजाति की कृषि प्रणाली एवं पर्यावरण अनुकूलन. भौगोलिक अध्ययन, 24(2), 89-104.
23. Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629-649.
24. Fürer-Haimendorf, C. von. (1982). *Tribes of India: The Struggle for Survival*. Delhi: Oxford University Press.
25. Sharma, B. D. (1990). *Tribal Affairs in India: The Unfinished Agenda*. New Delhi: Sahyog Pustak Kutir.